

बिहार विधान सभा के लिए शून्यकाल सूचना

<p>श्री अरुण शंकर प्रसाद, मा० सं० वि० सं० द्वारा दि०-02.04.2013 को प्रस्तुत शून्यकाल सूचना सं०-29/13 के संबंध में</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>शून्यकाल सूचना</p>	<p>उत्तर</p>
<p>मधुबनी जिलान्तर्गत जयनगर स्थित अशोक मार्केट में 31.03.2013 को अग्निकांड में साठ फुटकर व्यवसायियों का दुकान एवं घर जलकर राख हो गया है । जिससे लाखों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है । आपदा प्रबंधन विभाग से पीड़ित परिवार को राहत एवं मुआवजा दिलाने की मांग करता हूँ ।</p>	<p>दिनांक -31.03.2013 को अधिसूचित क्षेत्र जयनगर के अन्तर्गत अशोक मार्केट जयनगर में हुए अग्निकांड से चौसठ फुटकर विक्रेता की दुकान जल गया है । किसी भी विक्रेता का वह आवासीय घर नहीं था और न ही किसी का अनाज आदि जला है । गैर आवासीय व्यावसायिक फुटकर सब्जी आदि की दुकान में आग लगने पर राहत उपलब्ध कराने संबंधी कोई भी विभागीय नियम नहीं होने के कारण कोई राहत उपलब्ध नहीं कराया गया है ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि० सं० शू० का०-78/2013/...../आ० प्र०, पटना-15, दि०-


प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -945 दि०-27.04.2013 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि० सं० शू० का० प्र०-51/2011/...../आ० प्र०, पटना-15, दि०- 31/5/13 -

प्रतिलिपि श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कम्प्यूटर ऑपरेटर, आ० प्र० विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित । ✓

  
31.5.13  
सरकार के अवर सचिव